



2026:AHC:169048

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27146 / 2026

रमेश केशरी

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार मौर्य, सुरेश कुमार मौर्य

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 45/2026 अंतर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - कोतवाली सिटी, जिला -मिर्जापुर, संबंधित न्यायालय में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सूचनादाता की मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में दर्ज की गई थी। सह-अभियुक्त के बयान के माध्यम से विवेचना के दौरान आवेदक का नाम वर्तमान मामले में सामने आया। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उन पर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक मात्र एक कबाड़ व्यापारी है। आवेदक के पास से कोई भी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। वर्तमान मामले में आवेदक की गिरफ्तारी के समय, उसे इस कथित घटना से संबंधित कई अन्य मामलों में भी फंसाया गया, जिनका स्पष्टीकरण वर्तमान जमानत आवेदन के पैराग्राफ संख्या 19 में दिया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त पवन कुमार विश्वकर्मा, महेश कुमार बिंद और पिंटू को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25766/2026 और 23120/2026 में पारित आदेश दिनांक 30.7.2026 और 22.7.2026 के माध्यम से पूर्व में ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक 07.04.2026 से जेल/कारागार में है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है।

विद्वान ए.जी.ए. द्वारा जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया गया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख, साक्ष्यों का अध्ययन करने, और साथ ही आरोपों की प्रकृति और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **रमेश केशरी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अगस्त 12, 2026

केके पटेल

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।